

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी आलोक रंजन, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/024/2026 (सू.अ.)

पंजीयन दिनांक :- 23.02.2026

G.C.M.S. :- 2026/57

श्री ओम प्रकाश शर्मा (B.L.O. भाग 99) रा. उ. प्रा. वि. पण्डिल दीनदयाल
कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा,
जिला चित्तौड़गढ़

अपील आवेदन :- अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम,
2005

निर्णय

दिनांक 18.03.2026

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत
अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक
सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़
के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 31.12.2025 को रजिस्टर्ड
डाक से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी
अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी
द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक/सरिश्ता/प्र.सं.
/024/2026(सू.अ.)(18.03)/144 दिनांक 23.02.2026 से सहायक लोक
सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़
को दिनांक 18.03.2026 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते
हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक



18.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी नियत दिनांक को स्वयं उपस्थित हुआ तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा आदिनांक तक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः चाही गई सूचना दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक अपनी टिप्पणी/कमेन्ट्स प्रस्तुत नहीं किये।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया तथा उनका गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ से सूचना चाहने हेतु आवेदन दिनांक 31.12.2025 को प्रेषित किया जो कि कार्यालय में प्राप्त होना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील आवेदन पत्र जो कि विहित समयावधि में इस अपीलीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन-पत्र दिनांक 31.12.2025 में वर्णित बिन्दुओं से वांछित सूचना आदिनांक तक उसे प्राप्त/उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया गया है जबकि अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) से हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन/बिन्दुवार टिप्पणी अप्राप्त है जिससे अपीलार्थी के अपील आवेदन का खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः न्यायालय के समक्ष यह तथ्य निर्विवाद रूप से प्रमाणित पाया जाता है कि अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 31.12.2025 का नियमानुसार निर्धारित समयावधि में निस्तारण नहीं किया गया है, जिससे अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय



प्राप्त होने के 10 दिवस में, वांछित सूचना/विनिश्चय, प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी की पहुँच में, जिस रूप में संधारित हों, उसी रूप में, अभिलेखानुसार, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षर कर जरिये रजिस्टर्ड डाक से अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावें एवं पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करावें। निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचन) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ तथा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित की जावे।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’



(आलोक रंजन)

आई.ए.एस.

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)